

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
कार्रवाई
टिप्पणी

1

2

अभिलेख उपस्थापित।

04-3-23 अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता अ०पि०व० के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खतियानी रैयत लंगरु हजाम हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 4.68 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 2.4235 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-37/1 पर लंगरु हजाम के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। खतियानी/जमाबंदी रैयत महादेव ठाकुर के परदादा एवं चस्कू ठाकुर के दादा हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु ऋण के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 2.3635 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि के बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में (1.) राजेश कुमार ठाकुर पिता स्व० महादेव ठाकुर एवं (2.) चस्कू ठाकुर पिता स्व० गजन हजाम, निवास स्थान ग्राम-मण्डईखुर्द, थाना-लोहसिंगना, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना नं०-162, खाता संख्या-37 प्लॉट संख्या-639, रकवा-0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि पूनम देवी पति उतम कुमार चन्द्रवंशी, निवास स्थान ओकनी, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहता, हजारीबाग।

अपर समाहता, हजारीबाग।